

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1449  
09.02.2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम

1449. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :

श्रीमती भारती पारधी :

श्री नरेश गणपत म्हस्के :

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूक्यूएमपी) के अंतर्गत देश भर में स्थापित और कार्यशील निगरानी केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) वर्ष 2019 से अब तक उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए जल गुणवत्ता आकलन और निगरानी किए गए मापदंडों के संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार डेटा क्या है;
- (ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसके सभी निगरानी केंद्रों से संग्रहीत जल गुणवत्ता डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ क्या सहयोग किया गया है;
- (घ) चिह्नित किए गए प्रदूषित क्षेत्रों में नदियों, झीलों और भूजल जैसे जल स्रोतों के संदूषण को समाप्त करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या उपाय किए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम के निगरानी ढांचे के अंतर्गत निगरानी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार कर विशेषकर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में और अधिक जल निकायों को शामिल करने और उभरते संदूषकों जैसे अतिरिक्त जल गुणवत्ता मापदंडों को शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क): राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के अंतर्गत देश भर में स्थापित निगरानी नेटवर्कों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ख): एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत, जल गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देश- 2017 के अनुसार, सामान्य एवं प्रमुख तथा जीवाणुविज्ञान संबंधी मानकों की द्विमासिक निगरानी की जाती है, जबकि भारी धातुओं एवं कीटनाशकों से संबंधित मानकों की निगरानी वर्ष में दो बार की जाती है। जल गुणवत्ता से संबंधित राज्य-वार आँकड़े तथा निगरानी किए जाने वाले मानकों का विवरण सीपीसीबी की वेबसाइट <https://cpcb.nic.in/nwmp-data/> पर उपलब्ध है।

(ग): शुरुआत में, सीपीसीबी ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध में यूएनईपी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक अंतरराष्ट्रीय पहल वैश्विक वातावरण निगरानी प्रणाली (जेम्स-जल कार्यक्रम) के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम लागू किया जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, मानकीकृत एवं तुलनात्मक जल गुणवत्ता आँकड़े तैयार करना था। हालांकि, वर्तमान में एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के साथ कोई सदभागिता नहीं है।

(घ): राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत प्राप्त जल की गुणवत्ता के आँकड़ों का उपयोग, जैविक प्रदूषण के स्तर के आधार पर प्रदूषित नदी खंडों की पहचान के लिए किया जाता है, जिसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) की सांद्रता के रूप में मापा जाता है। पीआरएस को प्राथमिकता श्रेणी-I से प्राथमिकता श्रेणी-V तक वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्राथमिकता-I बीओडी 30 मि.ग्रा./लीटर से अधिक सर्वाधिक प्रदूषित है तथा बीओडी 3-6 मि.ग्रा./लीटर के बीच प्राथमिकता-V न्यूनतम प्रदूषित है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान की गई है तथा वर्ष 2018, 2022 और 2025 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं। चिन्हित पीआरएस के आधार पर तथा इनके पुनरुद्धार हेतु सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नदी पुनरुद्धार समितियों (आरआरसी) का गठन किया गया

है। ये आरआरसी पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव की समग्र निगरानी एवं समन्वय में कार्य करती हैं।

- आरआरसी को वर्ष 2018 में सीपीसीबी द्वारा चिन्हित पीआरएस के पुनरुद्धार हेतु अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्ययोजनाएँ तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण सहित कार्ययोजनाएँ इस उद्देश्य से तैयार की गई कि प्रदूषित नदी खंडों की जल गुणवत्ता को स्नान योग्य स्तर (अर्थात् बीओडी <3 मि.ग्रा./लीटर) तक लाया जा सके।
- कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी द्वारा तथा केंद्र स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

(ड): राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्लूएमपी) की निगरानी की रूपरेखा जल निकायों के उन स्थानों/खंडों से प्राप्त जल नमूनाकरण आँकड़ों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिन्हें जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के संदर्भ में बाह्य स्नान हेतु निर्धारित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों को पूरा न करने वाला पाया गया है।

\*\*\*\*\*

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत निगरानी नेटवर्क का राज्य-वार विवरण

राज्य	नदी	झील	तालाब	पोखर	आद्रभूमि	नहर	नाला	भूजल	सोता	खाड़ी / तटीय / समुद्री / सागर	एसटीपी	जल शोधन संयंत्र (कच्चा जल)	महायोग
आंध्र प्रदेश	45	16	-	3	21	5	4	61	5	27	1	-	188
अरुणाचल प्रदेश	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
असम	112	34	24	-	2	-	-	67	-	-	-	-	239
बिहार	96	3	2	-	-	-	-	70	-	-	-	-	171
चंडीगढ़	-	1	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	11
छत्तीसगढ़	29	-	1	-	-	-	-	8	1	-	-	-	39
दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	13	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	25
दिल्ली	12	3	-	-	-	2	26	45	-	-	-	6	94
गोवा	32	44	-	-	-	3	-	9	2	24	1	-	115
गुजरात	65	17	2	-	3	3	-	88	4	3	2	-	187
हरियाणा	23	4	1	-	1	14	1	29	-	-	-	3	76
हिमाचल प्रदेश	156	5	1	-	-	-	32	55	1	-	-	-	250
जम्मू एवं कश्मीर	63	36	-	-	10	-	2	23	-	-	-	-	134
झारखंड	65	4	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	76
कर्नाटक	126	151	1	67	-	-	-	2	6	-	-	-	358
केरल	138	29	7	-	-	3	1	35	-	-	1	-	219
लक्षद्वीप	-	-	3	-	-	-	-	42	-	-	-	-	45
मध्य प्रदेश	211	20	11	1	-	-	-	54	8	-	-	-	305

महाराष्ट्र	181	1	-	-	-	-	10	50	1	35	-	-	278
मणिपुर	44	5	14	-	-	2	-	10	-	-	-	-	75
मेघालय	64	7	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	84
मिजोरम	67	6	13	-	-	-	-	26	9	-	-	-	121
नागालैंड	32	6	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	48
ओडिशा	156	7	10	-	4	11	3	100	6	90	3	-	390
पुदुचेरी	6	3	-	-	-	-	-	22	-	3	-	-	34
पंजाब	66	17	6	-	-	2	10	46	-	-	8	-	155
राजस्थान	30	27	2	-	-	5	-	131	7	-	-	-	202
सिक्किम	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
तमिलनाडु	71	8	-	1	13	2	4	22	-	34	16	-	171
तेलंगाना	49	100	29	30	-	-	2	48	7	-	8	-	273
त्रिपुरा	38	8	10	-	-	7	-	57	-	-	-	-	120
उत्तर प्रदेश	121	7	2	-	3	1	-	39	1	-	-	2	176
उत्तराखंड	44	2	-	-	1	3	-	19	-	-	-	-	69
पश्चिम बंगाल	60	14	-	-	2	2	-	68	-	1	-	-	147
<b>कुल योग</b>	<b>2260</b>	<b>587</b>	<b>143</b>	<b>102</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>98</b>	<b>1271</b>	<b>58</b>	<b>227</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>4922</b>

\*\*\*\*